APP-A
Crim-I

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम कोटा

रविन्द्र बनाम सरकार

मुकदमा 136 L.R. नं. 45 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
2/6/25	राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी रविन्द्र सिंह की ओर से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। जांच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी रविन्द्र सिंह की ओर से प्रार्थना–पत्र पर बहस कर प्रार्थना–पत्र स्वीकार जाने का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना–पत्र सुनी गई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक 13/6/25 को पेश हो।	
13/6/25	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी रविन्द्र सिंह की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बालिता पटवार हल्का सकतपुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र सकतपुरा तह0 लाडपुरा जिला कोटा खाता नया 23 पुराना 26 खसरा नं0 220/900 रकबा 1.36 है0 किस्म नहरी प्रथम लगान 43.52 खातेदार कुलविन्दर सिंह आत्मज श्री बच्चन सिंह हिस्सा पूर्ण स्थित चली आ रही है, जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2072 सं 75 संलग्न है। प्रार्थी को रविन्द्र सिंह उर्फ कुलविन्द्र सिंह के नाम से जाना जाता है, जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम रविन्द्र सिंह है, लेकिन सहवन से उपरोक्त जमाबन्दी में रविन्द्र सिंह के स्थान पर बोलचाल का नाम कुलविन्दर सिंह दर्ज हो गया, जबकि ग्राम बालिता में कुलविन्दर सिंह आत्मज श्री बच्चन सिंह के नाम से कोई व्यक्ति है, और ना ही इस नाम का कोई व्यक्ति निवास करता है। उक्त आराजी पर प्रार्थी का ही निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विनय है कि ग्राम बालिता पटवार हल्का सकतपुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र सकतपुरा तह0 लाडपुरा जिला कोटा खाता नया 23 पुराना 26 खसरा नं0 220/900 रकबा 1.36 है0 किस्म नहरी प्रथम लगान 43.52 खातेदार कुलविन्दर सिंह आत्मज श्री बच्चन सिंह हिस्सा पूर्ण के स्थान पर रविन्द्र सिंह आत्मज श्री बच्चन सिंह हिस्सा पूर्ण को दुरूस्त करने की कृपा करें। पटवारी सकतपुरा द्वारा रिपोर्ट ली गई। पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में कथन किया गया कि ग्राम वासियों से पूछताछ करने पर बताया गया कि रविन्द्र सिंह का ही नाम कुलविन्दर सिंह है। कुलविन्दर सिंह घर का नाम बताया गया। उपस्थित व्यक्तियों के बताये अनुसार कुलविन्दर सिंह और रविन्द्र सिंह दोनो एक ही व्यक्ति होना पाया जाता है। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड, बैक पासबूक, विद्यालय स्थानान्तरण प्रमाण पत्र का अवलोकन किया गया। दस्तावेज से स्पष्ट होता है कि कुलविन्दर सिंह एवं रविन्द्र सिंह एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी रविन्द्र सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को ग्राम बालिता पटवार हल्का सकतपुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र सकतपुरा तह0 लाडपुरा जिला कोटा खाता नया 23 पुराना 26 खसरा नं0 220/900 रकबा 1.36 है0 किस्म नहरी में प्रार्थी का नाम कुलविन्दर सिंह आत्मज श्री बच्चन सिंह हिस्सा पूर्ण के स्थान पर कुलविन्दर सिंह उर्फ रविन्द्र सिंह आत्मज बच्चन सिंह हिस्सा पूर्ण दर्ज करने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावें।	

उपखण्ड अधिकारी
कोटा